न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी जिला नागौर(राज0)

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
जितेन्द्र पुत्र रूपाराम जाति जाट निवासी हीराणी (सिंधपुरा) तहसील कुचामनसिटी		ग्राम पंचायत हिराणी, राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कुचामन, उप पंजीयक कुचामन, हरदीनराम ढ़ाका पुत्र रामनिवास जाट पालड़ा, हीराराम पुत्र नुन्दाराम जाट हिराणी

राजस्व प्रार्थना–पत्र – प्रार्थना–पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा 212 R.T.Act 1955

वाद नम्बर 23/ 2020 **RCMS No.** 2020/00055

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिलियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
25/06/2020	वकील प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना–पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 R.T.Act 1955 के तहत विरूद्व अप्रार्थीगण प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर हो।प्रार्थी वकील के निवेदन पर एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होती है। अतः अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी पेशी दिनॉक 21.07.2020 तक इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम सिंधपुरा पटवार हीराणी तहसील कुचामनसिटी की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 39 में अप्रार्थी संख्या 4 व 5 बेचान, रहन, गिरवी, हस्तानान्तरण नही करे, अप्रार्थी संख्या 1 व 2 राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे व अप्रार्थी संख्या 3 पंजियन स्वीकार नही करे। अप्रार्थीगण जरिये नोटिस तलब होकर पत्रावली दिनॉक 21.07.2020 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)	
21.7.2020	पत्रावली पेश हुई आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राजकार्य / अवकाश से बाहर पधारे हैं। अतः पत्रावली दिनांक 6.8.2020 को पेश हो	
6.8.2020	पत्रावली पेश हुई आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राजकार्य / अवकाश से बाहर पधारे हैं। अतः पत्रावली दिनांक 21.8.2020 को पेश हो	
19/8/2020	वकील प्रार्थी के द्वारा प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करते यह पत्रावली [illegible] प्रार्थी उप० / प्रार्थना–पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा 212 R.T.A. [illegible] [illegible]	जितेन्द्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2020.10.24 12:43:03 IST
Reason: SelfAttested

प्र.सं. 23/2020 जितेन्द्र बनाम रा.प. डीडवाना –

RCMS. 2020/00055

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने विड्रोल स्वीकार किया जाता है। पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)
19.8.2020

Signature Not Verified

Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2020.10.24 12:43:03 IST
Reason: SelfAttested